

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 783 / 15

संस्थापन दिनांक : 09.10.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—इन्द्रजीतसिंह तौमर उर्फ गुड्डू पुत्र जगमनसिंह उम्र 45 वर्ष
 - 2—राजूसिंह तौमर पुत्र सुघरसिंह उम्र 35 वर्ष
 - 3—अजमेरसिंह पुत्र सुघरसिंह तौमर उम्र 42 वर्ष
 - 4—दीवानसिंह उर्फ महिपाल पुत्र श्रीरामसिंह तौमर उम्र 40 वर्ष
 - 5—भूपेन्द्रसिंह उर्फ टुन्डे पुत्र रनवीरसिंह तौमर उम्र 23 वर्ष
 - 6—मुनेशसिंह पुत्र इन्द्रजीतसिंह तौमर उम्र 20 वर्ष
- निवासीगण ग्राम नागौर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 147, 427, 323 / 149, 506 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 336 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.01.15 को 14:30 बजे जगदीश प्रसाद तिवारी के मकान के सामने आम रोड ग्राम नागौर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.15 को दोपहर 02:30 बजे फरियादी भीमसेन अ0सा01 जगदीश तिवारी के घर के सामने से जा रहा था तब आरोपीगण एकराय होकर अपने घर के सामने खड़े थे। आरोपी

इन्द्रजीत ने अश्लील गालियां देकर बस गली में खड़ी करने से मना किया गालियां देने से मना करने पर दीवान और राजू ने उसे पटक दिया और मारपीट शुरू कर दी उसका भाई कल्याण अ0सा02 बचाने आया तो अजमेर और भूपेन्द्र ने उसे पत्थर फेंककर मारे जिससे उसे चोटें आईं। फरियादी की ताई कमलाबाई को मुकेश ने ईंट पत्थर मारा और गली में खड़ी बस क्रमांक एम0पी0-07-एफ.1709 में पत्थर मारे जिससे उसके कांच टूट गये गिराज व रंजीत ने आकर बीच बचाव किया। जाते समय आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी भीमसेन अ0सा01 ने थाना एण्डोरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 05/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 14.01.15 को 14:30 बजे जगदीश प्रसाद तिवारी के मकान के सामने आम रोड ग्राम नागौर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. भीमसेन अ0सा01 ने कथन किया है कि वर्ष 2015 की संक्रान्ति पर गली में बस खड़ी करने की बात पर आरोपीगण से मुंहवाद और हाथापाई हुई थी। कल्याण अ0सा02 व कमलाबाई के साथ भी झगडा हुआ था इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उसने एफआईआर प्र0पी-1 लिखवाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारे जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि कमलाबाई को मुकेश ने ईंट से मारा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. आहत कल्ला उर्फ कल्याण अ0सा02 ने भी मुख्यपरीक्षण में भीमसेन अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपीगण ने पत्थर फेंककर मारे जिससे उसका जीवन संकट में पड़ गया और कमलाबाई को मुकेश ने ईंट मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः फरियादी भीमसेन अ0सा01 और कल्याण अ0सा02 जोकि अभियोजन मामले में आहत साक्षी होकर घटना के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, ने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन के इस

सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने उपेक्षापूर्वक पत्थर फेंके थे जिससे उनका जीवन संकट में पड़ गया था। अतः उक्त दोनों महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 14.01.15 को 14:30 बजे जगदीश प्रसाद तिवारी के मकान के सामने आम रोड ग्राम नागौर थाना एण्डोरी जिला भिण्ड पर उतावलेपन या उपेक्षा से पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया।

8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 336 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त ँ गोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)